भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

विज्ञापन सं : आरआरकेट - 2/2017

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31.05.2017

“सरकार इस प्रकार के कार्यबल के लिये प्रयत्नशील है जिससे लैंगिक संतुलन बना रहे और इसलिये महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है”

1. **राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरकेट), इन्दौर (म.प्र.) में प्रशिक्षण हेतु वृत्तिभोगी प्रशिक्षार्थियों (श्रेणी - । एवं ।।) के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं ।**

वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी श्रेणी - I :

पदों की कुल संख्या : 23 (अनुसूचित जाति : 03, अनुसूचित जनजाति : 05, अन्य पिछड़ा वर्ग : 05, अनारक्षित :10)

पद सं.	विषय	पदों की संख्या	शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता
।-1	भौतिकी	07	न्यूनतम 60% अंकों के साथ बी.एससी. (भौतिकी मुख्य विषय के रूप में तथा गणित / रसायन / सांख्यिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान सहायक विषय के रूप में)
।-2	मेकेनिकल	06	न्यूनतम 60% अंकों के साथ मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/लाइसेंसधारी (एस.एस.सी. के बाद तीन वर्ष का अथवा एच.एस.सी. के बाद दो वर्ष का कोर्स)
।-3	इलेक्ट्रिकल	02	न्यूनतम 60% अंक के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/लाइसेंसधारी (एस.एस.सी. के बाद तीन वर्ष का अथवा एच.एस.सी. के बाद दो वर्ष का कोर्स)
।-4	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन	08	न्यूनतम 60% अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/लाइसेंसधारी (एस.एस.सी. के बाद तीन वर्ष का अथवा एच.एस.सी. के बाद दो वर्ष का कोर्स)

वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी श्रेणी - ।।:

पदों की कुल संख्या : 24 (अनुसूचित जाति : 03, अनुसूचित जनजाति :12, अनारक्षित: 09)

पद कोड ।।-4 का 01 पद केवल श्रवण बाधित (एचएच) के लिए आरक्षित है ।

पद कोड	ट्रेड	पदों की संख्या	शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता
।।-1	इलेक्ट्रॉनिक्स	04	न्यूनतम 60% औसत अंकों के साथ एस.एस.सी. (विज्ञान एवं गणित विषय सहित) + इलेक्ट्रॉनिक्स / फिटर / मशीनिस्ट / वेल्डर / टर्नर में ट्रेड प्रमाणपत्र । अभ्यर्थियों को संबंधित ट्रेड प्रमाणपत्र हेतु निम्न अपेक्षाओं में से किसी एक को पूरा करना होगा : 1) दो वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आईटीआई पास) **अथवा** 2) अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि का एन.ए.सी. **अथवा** 3) एक वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आईटीआई पास) + पाठ्यकम समाप्ति पश्चात् एक वर्ष का संबंधित कार्य अनुभव **अथवा** 4) एक वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आईटीआई पास) + अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि का एन.ए.सी.
।।-2	फिटर	10	
।।-3	मशीनिस्ट	04	
।।-4	वेल्डर	01	
।।-5	टर्नर	02	

।।-6	प्रयोगशाला	03	न्यूनतम 60% औसत अंकों के साथ विज्ञान संकाय में (जिसमें भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय हो) एच.एस.सी. (10+2) **अथवा** न्यूनतम 60% औसत अंकों के साथ एस.एस.सी. (विज्ञान एवं गणित विषय सहित) + प्रयोगशाला सहायक का ट्रेड प्रमाणपत्र । अभ्यर्थियों को संबंधित ट्रेड प्रमाणपत्र हेतु निम्न अपेक्षाओं में से किसी एक को पूरा करना होगा : 1) दो वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आईटीआई पास) **अथवा** 2) अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि का एन.ए.सी. **अथवा** 3) एक वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आईटीआई पास) + पाठ्यकम समाप्ति पश्चात् एक वर्ष का संबंधित कार्य अनुभव **अथवा** 4) एक वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आईटीआई पास) + अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि का एन.ए.सी

नोट : i. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त होनी चाहिए ।

ii. श्रवण बाधित (एचएच) अर्थात् स्वस्थ कान में संभाषण क्रमबद्धता की आवृत्तियों में 60 डेसीबल अथवा अधिक की क्षति होनी चाहिये ।

<u>महत्वपूर्ण</u> **:**

1. अगर विश्वविद्यालय द्वारा लेटर ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए प्रदान किया जाता है, तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार्य मानकों के अनुसार अंकों के प्रतिशत के समतुल्य इंगित किया जाना चाहिए । ऐसा न करने पर साक्षात्कार के लिए उनकी उम्मीदवारी के बारे में विचार नहीं किया जाएगा ।

2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे सही सूचना दे रहे हैं । गलत सूचना देने / सही सूचना छिपाने से आवेदकों की उम्मीदवारी अयोग्य घोषित हो जाएगी । आरआरकेट, इन्दौर पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी भे स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर सकता है ।

3. श्रेणी -। एवं ॥ की भर्ती के नियम में न्यूनतम योग्यता तथा अंकों का प्रतिशत पात्रता मापदंड में शामिल है । तथापि यदि उच्च योग्यता रखने वाले उम्मीदवार निम्न योग्यता के लिये निर्धारित पद का चयन कर लेते हैं, तो सिद्धांत: उन्हें उनके भर्ती के अवसर से मना नहीं किया जाएगा । ऐसे उम्मीदवार, जो पहले से ही अपेक्षितसे ज्यादा योग्यता रखते हैं या जिनकी उच्च योग्यता (60% अंकों से कम न हो) हासिल करने की प्रक्रिया भर्ती के पश्चात् पूरी होने की संभावना है, को सेवा में रहते निम्नलिखित निर्धारित अवधि के लिये अतिरिक्त योग्यता आधारित पदोन्नति के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जायेगा :

क.	बी.एस.सी./इंजीनियरिंग मे डिप्लोमा	-	6 वर्ष
ख.	बी.टेक./ए.एम.आई.ई/एम.एस.सी.	-	8 वर्ष
ग.	एम.टेक./पी.एच.डी.	-	10 वर्ष

आयु सीमा :

i. श्रेणी I के लिये : दिनांक **31.05.2017** को 19 वर्ष (न्यूनतम) एवं 24 वर्ष (अधिकतम)

यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा श्रेणी के हैं तो निर्धारित उपर्युक्त आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की एवं अपिव श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक की छूट है।

ii. श्रेणी II के लिये : दिनांक **31.05.2017** को 18 वर्ष (न्यूनतम) और 22 वर्ष (अधिकतम)

यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा श्रेणी के हैं तो निर्धारित उपर्युक्त आयु में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट है।

उपर्युक्त के अलावा आयु में निम्नलिखित छूट भी लागू है :

क) शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (पद कोड II- 4 के लिए लागू) अधिकतम 10 वर्ष है।

ख) विधवा, तलाकशुदा एवं न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो चुकी महिलाओं और जिन्होंने फिर से शादी नहीं की है, वे सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए पात्र हैं।

ग) उन सभी व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक की अवधि के दौरान अधिवासी रहे हैं, परन्तु किसी भी परीक्षा में भाग लेने हेतु ऊपरी आयु सीमा में छूट संबंधित नियमों के अंतर्गत उचित अवसरों की अधिकतम संख्या के अनुसार दी जाएगी।

निवास संबंधी प्रमाण-पत्र :

कोई भी व्यक्ति जो केन्द्रीय सिविल सेवा एवं सिविल पद (सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा) नियमावली, 1998 के तहत लागू आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

i) जम्मू कश्मीर संभाग के जिला मजिस्ट्रेट से जिसके क्षेत्राधिकार में वे सामान्यत: रहते थे।

अथवा

ii) कोई अन्य प्राधिकारी जो जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पदनामित किया गया हो द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे जम्मू-कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 की अवधि के दौरान मूलरूप से अधिवासी थे।

घ) भूतपूर्व सैनिकों, विभागीय अभ्यर्थियों (केन्द्र सरकार के असैनिक कर्मचारी), 1984 के दंगों में मारे गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को विद्यमान सरकारी आदेशों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

नोट : केवल मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र / नगर पालिका / निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र में लिखित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी। बाद में जन्मतिथि में परिवर्तन का कोई भी निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. प्रशिक्षण की कुल अवधि : दो वर्ष

प्रशिक्षण के दौरान वृत्तिका :

श्रेणी-I के लिए : पहले वर्ष के लिए रू. 9,300/- प्रतिमाह
दूसरे वर्ष के लिए रू. 10,500/- प्रतिमाह

श्रेणी-II के लिए : पहले वर्ष के लिए रू. 6,200/- प्रतिमाह
दूसरे वर्ष के लिए रू. 7,200/- प्रतिमाह

उपरोक्त के अतिरिक्त, श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के प्रशिक्षणार्थी उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित अनुमोदित पुस्तकें खरीदने के लिए एक बार पुस्तक भत्ते के रूप में रू. 1500/- पाने के हकदार होंगे।

3. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में दी गई सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के विविध चरणों में उनके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण से पूर्व आवेदनों की केवल संक्षिप्त जांच की जाएगी एवं अभ्यर्थियों की पात्रता की विस्तृत जांच भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में की जाएगी। अत: आवेदकों की उम्मीदवारी तब तक अस्थायी रहेगी जब तक कि विस्तृत जांच किए पूरी न हो जाए एवं वह सभी पहलूओं से योग्य न पाया जाए। आरआरकेट के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है, अगर अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य पाया जाता है। अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण करने में आरआरकेट का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। महज अभ्यर्थी को बुलावा पत्र जारी करने एवं लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि उनकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है या अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों मात्र से ही उन्हें सत्य एवं सही रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा।

4. **<u>चयन प्रक्रिया</u> :**

<u>वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-।) के लिए</u> :

एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के लिए इन्दौर में कम से कम दो दिनों तक ठहरने की तैयारी से आना होगा। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को इन दो दिनों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम डिप्लोमा / बीएससी (जो भी लागू हो) स्तर के विषयों पर पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शॉर्ट-लिस्ट कर उसी दिन अथवा अगले दिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

अंतिम चयन और रैंकिंग अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में आरआरकेट का निर्णय अंतिम होगा।

<u>वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-।।) के लिए</u> :

चयन परीक्षा के लिए तीन चरण होंगे (चरण 1 एवं 2 - लिखित परीक्षा तथा चरण 3 - ट्रेड /कौशल परीक्षण)। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।

<u>चयन 1- प्रारंभिक परीक्षा</u> : प्रश्न एसएससी स्तर के गणित**,** विज्ञान और सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे।

<u>चयन 2- प्रगत परीक्षा</u> : चरण-**1** की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही चरण-**2** की प्रगत परीक्षा में भाग लेने के पात्र होगे। (प्रश्न संबंधित ट्रेड पर आधारित होंगे)।

<u>चयन 3- ट्रेड / कौशल परीक्षण</u> : केवल उन्ही अभ्यर्थियों के लिए जिंन्होने **चरण-2** परीक्षा पास कर ली है और यह **On Go / No Go Basis** पर होगी।

लिखित परीक्षा / ट्रेड परीक्षण में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी भाषा में देने का विकल्प होगा।

5. **<u>प्रशिक्षण कार्य क्षेत्र</u> :**

चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्र की युक्ति-युक्त आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक ट्रेड के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित ट्रेडों के विभिन्न पहलुओं पर आरआरकेट, इन्दौर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम / प्रशिक्षण स्थान / अंतिम नियोजन के लिए चयन / विकल्प नहीं होगा। प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को 24 घण्टे शिफ्ट ड्यूटी,रात्रिकालीन पारी सहित विभिन्न पारियों में कार्य करना पड़ सकता है।

6. **<u>अनुबंध का निष्पादन</u> :** चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने और यदि प्रशिक्षण के पश्चात् नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति के पश्चात् की 3 वर्ष की अवधि तक आरआरकेट, इन्दौर अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने का अनुबंध भरना होगा। प्रशिक्षणार्थी जो प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहते हैं अथवा नियुक्ति प्रस्ताव पाने के पश्चात् 3 वर्षों की सरकारी सेवा करने में असफल रहते हैं तो सरकारी नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्राप्त हुई वृत्तिका की संपूर्ण राशि ब्याज सहित सरकार को लौटानी होगी।

7. **<u>सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर नियुक्ति</u> :**

क. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर, वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी (श्रेणी-I) को प्रशिक्षण के अंत में हुए साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर वैज्ञानिक सहायक/सी के पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

पद	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	प्रारंभिक वेतन
वैज्ञानिक सहायक / सी	स्तर-7	` 44,900/-

* प्रारंभिक वेतन के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के नियमानुसार श्रेणी "वाई" सिटी के लिये यथादेय भत्ते भी लागू हैं।

ख. सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर, वृत्तिभोगी प्रशिक्षणार्थी (श्रेणी II) को प्रशिक्षण के अंत में हुए साक्षात्कार एवं प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनके कार्य निष्पादन के आधार पर निम्नलिखित पदों में से किसी एक में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्य निष्पादन के आधार पर नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि दी जा सकती है।

पद	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	प्रारंभिक वेतन
तकनीशियन/बी	स्तर-3	` 21,700/-
तकनीशियन/सी	स्तर-4	` 25,500/-

* प्रारंभिक वेतन के अतिरिक्त केन्द्र सरकार के नियमानुसार श्रेणी "वाई" सिटी के लिये यथादेय भत्ते भी लागू हैं

8. **<u>तकनीशियन के कार्य की प्रकृति</u> :**

पद कोड	ट्रेड	कार्य की प्रकृति
II-1	इलेक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों / प्रणाली का निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण
II-2	फिटर	प्रणाली का संचालन, निर्माण तथा अनुरक्षण
II-3	मशीनिस्ट	मिलिंग, ड्रिलिंग एवं शेपिंग मशीनों का संचालन तथा अनुरक्षण
II-4	वेल्डर	गैस कटिंग तथा वेल्डिंग कार्य
II-5	टर्नर	लेथ मशीनों का संचालन तथा अनुरक्षण
II-6	प्रयोगशाला	प्रयोगशाला उपस्करों / प्रणाली का संचालन एवं अन्य संबंधित कार्य

9. **<u>आवेदन कैसे करें</u> :**

i. केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।

ii. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 31.05.2017 है।

iii. अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑन-लाइन प्रस्तुत करने हेतु http:/rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html वेबसाईट का अवलोकन करें।

iv. अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर होना चाहिए, जो कि संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रहना चाहिए । स्क्रीन-इन किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बुलावा पत्र केवल पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ही भेजा जाएगा । स्क्रीन-इन किए गए अभ्यर्थियों के साथ भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार एवं साक्षात्कार बुलावा पत्र केवल उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे ।

v. वेबसाइट पर यूजर्स गाइड उपलब्ध है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करने संबंधी विवरण स्पष्ट तौर पर समझाया गया है ।

vi. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक यूजर्स गाइड को पूरी तरह पढ़ लेवें ।

vii. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने में होने वाली किसी भी विसंगति के लिये आरआरकेट जिम्मेदार नहीं रहेगा । अत: आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों एवं यूजर्स गाइड का सख्ती से पालन करें ।

viii. आवेदन पत्र अपलोड / प्रस्तुत करने से पूर्व अभ्यर्थियों को इस पद के लिए अपनी पात्रता के प्रति सावधान एवं आश्वस्त होना चाहिए । आवेदन पत्र से संबद्ध किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए ।

ix. आवेदक के पास आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।

x. एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाएगा । अगर अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने का इच्छुक है, तो उन्हें प्रत्येक पद हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।

xi. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि उन्हें अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना, समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ।

xii. ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों को सदैव निम्नलिखित दस्तावेज़ों को अपलोड करना चाहिए (जो भी लागू हो) :-

क. हाल ही में खींचा हुआ रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो
ख. हस्ताक्षर
ग. आयु संबंधी प्रमाण पत्र (मेट्रीकुलेशन प्रमाण-पत्र / म्यूनिसिपल जन्म प्रमाण-पत्र)
घ. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं
ङ. अनुभव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
च. आरआरकेट की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में अजा/अजजा/अपिव प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
छ. आरआरकेट की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांग प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
ज. जम्मू-कश्मीर संभाग में 01.01.1980 से 31.12.1989 तक अधिवासी होने सबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
झ. 1984 के दंगों में प्रभावित होने संबंधी प्रमाण (यदि लागू हो)
ञ. अन्य कोई संबद्ध प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)

xiii. केन्द्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी निकाय इत्यादि में कार्यरत अभ्यर्थियों को श्रेणी-। के लिए साक्षात्कार एवं श्रेणी-।। के लिए कौशल / ट्रेड परीक्षा में शामिल होने के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी **"अनापत्ति प्रमाण-पत्र"** प्रस्तुत करना होगा; ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार/कौशल/ ट्रेड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

xiv. अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट एवं उसमें उल्लेखित प्रमाण-पत्रों के मूल दस्तावेजों के अतिरिक्त उसकी स्वप्रमाणित प्रतियों को लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षा / साक्षात्कार के समय लाएं ।

10. **<u>शारीरिक रूप से नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की महत्वपूर्ण अपेक्षाएँ</u> :**

i) नि:शक्तता की परिभाषा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/3/2004-Esstt(Res) के दिनांक 29.12.2005 में उल्लिखित के अनुसार।

ii) आरक्षण हेतु नि:शक्तता की न्यूनतम श्रेणी / प्रतिशतता : 40 %

iii) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) नियमावली, 1996 के अनुसार नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उपधारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, नि:शक्तता प्रमाणपत्र केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से जारी किया जाना चाहिए। केन्द्र / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करें जिनमें कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।

iv) जिन अभ्यर्थियों में नि:शक्तता अस्थाई तौर पर है, उनके लिए प्रमाण-पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। जहाँ कहीं नि:शक्तता की मात्रा में परिवर्तन की संभावना रहेगी वहाँ प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि मेडिकल बोर्ड दर्शाएगा। जिन्हें स्थाई नि:शक्तता है उनके प्रमाण पत्र स्थाई रूप से वैध हो सकते हैं। अभ्यर्थियों के अभ्यावेदन पर, मेडिकल बोर्ड सभी तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो मामले के लिए उचित होंगे।

v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति जिनका चयन बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के बल पर अन्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों में माना जाएगा, बशर्ते कि वह पद शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति से संबद्ध श्रेणी में आता है।

11. **<u>सामान्य अनुदेश :</u>**

क. उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियाँ अस्थाई हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। विज्ञापन में दर्शाए गए रिक्त पद सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से ही भरे जाएंगे और यदि निर्णय लिया गया तो समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों के अनुसार पद न भी भरे जा सकते हैं।

ख. प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन पैनल तैयार करने के एक वर्ष तक या अगले विज्ञापन के प्रकाशित होने तक जो भी पहले हो, तक वैध रहेगी।

ग. प्रचालन संयंत्रों एवं स्थलों में उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ड्यूटी का प्रकार 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी (रात की पारी सहित) में कार्य करना शामिल होगा।

घ. विज्ञापन में नियत पात्रता मानकों जिसमें अनुभव की अवधि भी शामिल है, का निर्धारण आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अंतिम दिनांक के संदर्भ में किया जाएगा।

ङ. लिखित परीक्षा / साक्षात्कार / कौशल / ट्रेड परीक्षण हेतु बाहर से बुलाए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को नियमानुसार लघुत्तम मार्ग से आने-जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) यात्रा-भत्ते के रूप में दिया जाएगा। तथापि, लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अजा/अजजा के अभ्यर्थी जो पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार सेवा, केंद्र/राज्य सरकार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थान, पंचायत में कार्यरत हैं और रेल्वे से इस यात्रा संबंधी रियायत ले चुके हैं वे इस यात्रा-भत्ता के पात्र नहीं होगें। यात्रा-भत्ते का भुगतान अजा/अजजा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं पेपर टिकिट प्रस्तुत करने पर ही प्रदान किया जाएगा।

च. आरआरकेट, इन्दौर के बिना सूचित किए अथवा बिना कोई कारण बताए पद भरने / रद्द करने / प्रतिबंधित करने / संशोधन करने / पूरी भर्ती प्रक्रिया परिवर्तित करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है।

छ. इस विज्ञापन के तहत चयनित अभ्यर्थियों को आरआरकेट, इन्दौर में प्रशिक्षित किया जाएगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको सामान्यत: आरआरकेट, इन्दौर में तैनात किया जाएगा लेकिन उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग की भारत के किसी भी भाग में स्थित किसी भी संघटक इकाई में सेवा देने को तत्पर रहना होगा।

ज. आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक **(31.05.2017)** तक जो अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते हैं / नहीं करेंगे तो वे पात्र नहीं है अत: उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

झ. आवेदकों द्वारा आवेदन में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों के सत्यापन के उपरांत ही परीक्षा में उपस्थित होने दिया जाएगा। अत: अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। यदि बाद में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना गलत है या अभ्यर्थी किसी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करना नियुक्ति हेतु कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। नियुक्ति, सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही होगी।

ञ. अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे हमारी वेबसाईट <http:/rrcat.gov.in/hrd/Openings/Current_Openings.html> का लगातार अवलोकन करते रहें ताकि उन्हे इस विज्ञापन से संबंधित जानकारी मिलती रहे।

ट. नि:शक्त व्यक्तियों के लिए प्रतिपूरक समय, भारत सरकार के वर्तमान आदेशो के अनुसार दिया जाएगा।

ठ. जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपने पुनः नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिकों को दिए जानेवाले आरक्षण के लाभों का उपयोग करके नियमित आधार पर ग्रुप ''सी'' पदों में केंद्र सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है , वे भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के तहत आरक्षण लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

ड. सभी लिखित परीक्षा / साक्षात्कार / कौशल परीक्षा / ट्रेड परीक्षण का आयोजन आरआरकेट, इन्दौर में ही किया जाएगा।

चेतावनी :

जो आवेदन विज्ञापन में इंगित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। केवल विज्ञापन में दर्शाई गई अपेक्षाओं को पूर्ण करने मात्र से ही कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा / साक्षात्कार / कौशल परीक्षा / ट्रेड परीक्षण हेतु चयन के लिए पात्र नहीं होगा। जहां इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया में प्राप्त आवेदन- पत्रों की संख्या अधिक होगी तो इस केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिक अंकों तथा दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर स्क्रीनिंग को सीमित कर दिया जाएगा। चयन न किए गए अभ्यर्थियों के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

किसी भी स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ही अंतिम माना जाएगा

चयन न किए गए उम्मीदवारों के रिकार्ड चयनित सूची तैयार करने की तिथि से 6 माह बाद सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे

किसी भी प्रकार की सिफारिश को अयोग्यता माना जाएगा

****